न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः– अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
477/2025 प्रा0 पत्र	18.09.2025	21/5/2026

उनवान

1. दीपक बड़गुर्जर पुत्र प्रहलाद राय खटीक निवासी मकान नंबर 15, जमनापुरी कॉलोनी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—— विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन, उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की आराजी संख्या 2427/1 रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि ग्राम रूपाहेली प०ह० रूपाहेली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 2427/1 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में काश्त करने हेतु आने–जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज, बैल व पैदल आने–जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रेकॉर्डेड रास्ता मुख्य सड़क से होते हुऐ ग्राम रूपाहेली प०ह० रूपाहेली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित विपक्षी की आराजी नम्बर 2427 रकबा 0. 8093 हैक्टेयर भूमि की पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे सहारे प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 2427/1 में प्रवेश करता है जो कि 40 फीट चौड़ाई का रास्ता है तथा आराजी संख्या 2427 वर्तमान में विपक्षी के नाम दर्ज रेकॉर्ड होकर, बिलानाम दर्ज है तथा प्रार्थी को विपक्षी की आराजी संख्या 2427 में से रास्ता दिया जाकर उपरोक्त अनुसार अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है तथा उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी आराजी में आता–जाता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 2427/1 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2427 की पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे सहारे 40 फीट चौड़ाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना वांछित है इसलिये यह आवेदन 251–ए राज० टिनेंन्सी एक्ट 1955 की उपधारा (2) के तहत आपके समक्ष प्रस्तुत है अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की भूमि ग्राम रूपाहेली प०ह० रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित आराजी संख्या 2427/1 रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा 20

लाने ले जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2427 रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि की पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे सहारे 40 फीट चौड़ाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करा, उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खाता कायम करा, नक्शे में भी तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें, इस हेतु प्रार्थीया सरकार द्वारा निधारित मुआवजे की राशी का भुगतान करने के लिए सदैव से तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 594 दिनांक 06.11.2025 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि वादी अपनी खातेदारी आराजी नंबर 2427/1 रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने हेतु बिलानाम आराजी नंबर 2427 रकबा 0.8093 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से 40 फीट रास्ता चाहा है, जबकि नियमानुसार अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है, अतः प्रार्थी को बिलानाम आराजी 2427 में से नजरी नक्शा अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है, इस प्रकार दिये जाने वाले रास्ते का रकबा आराजी नंबर 2427 में से 0.0379 हैक्टेयर भूमि बनती है, उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। ग्राम रूपाहेली की उक्त असिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 692900/– प्रति हैक्टेयर है। उक्त रास्ते का रकबा आराजी नम्बर. 2427 में से 0.0379 हैक्टेयर गुणा 602900/– = 26260.91/– बनती है। जिसकी डी0एल0सी0 दर अनुसार दोगुनी कीमत 52521.82/– बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दोगुना राशि भुगतान हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल, तहसील–भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी नं. 2427/1 रकबा 1.0748 आराजी संख्या 2427 में से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0379 हैक्टेयर भूमि (30 फीट चौडा) सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है। प्रस्तावित रास्तें की आराजी नम्बर 2427 की डी0एल0सी0 अनुसार उक्त भूमि की कीमत 602900/– प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ता 0.0379 हैक्टेयर भूमि की दुगुनी राशि – 52521.82/– रूपये बनती है जो विपक्षीगण को देय है।

उक्त राशि प्रार्थीगण, विपक्षीगण को अदायगी करे। ग्राम रूपाहेली की आराजी नंबर 2427 रकबा 0.8093 है0 भूमि में से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार 0.0379 है0 भूमि नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में गै.मु. रास्ता के रूप में सार्वजनिक उपयोग–उपभोग हेतु दर्ज किया जावे। तहसीलदार भीलवाडा को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20/5/2026 को टंकित कराया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

20/5/26
उपखण्ड अधिकारी
(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा